भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 895

(07 फरवरी, 2023 को उत्तमर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब्रकाया

895. श्री एस. रामलिंगमः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य के लिए मनरेगा की वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में कितनी राशि बकाया थी; और

(ख) क्या केंद्र सरकार ने नए कार्यबल की भागीदारी और वेतन असमानता को पाटने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए तमिलनाडु राज्य के लिए कोई भुगतान शेष नहीं है।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। जब कोई बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं होता है तब यह ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका हेतु एक अतिरिक्त विकल्प है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005 की धारा 6(1) के अनुसार केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा योजना के लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य की मजदूरी दर निर्धारित कर सकती है। तदनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा की मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को महंगाई की भरपाई के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर प्रत्येक वर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। यदि किसी राज्य की परिकलित मजदूरी दर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम आती है तो इसे पिछले वित्तीय वर्ष की मजदूरी दर रखकर ही सुरक्षित रखा जाता है। संशोधित मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अप्रैल की पहली तारीख से लागू होती है। तथापि, राज्य सरकारें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी दे सकती हैं।